छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 100/2006

श्री राजेश बिस्सा,
21–सेन्ट्रल एवेन्यू (म्ि)
चौबे कालोनी, रायपुर .... **अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. **जन सूचना अधिकारी,**
   कार्यालय अपर संचालक,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. **अपर संचालक**
   (अपीलीय अधिकारी),
   नगरीय प्रशासन एवं विकास,
   रायपुर (छत्तीसगढ़) .... **प्रतिअपीलार्थीगण**

:: आदेश ::

(दिनांक 27 दिसम्बर 2006)

श्री राजेश बिस्सा, रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत की कि आवेदन पत्र दिनांक 12–11–2005 के द्वारा उसने जन सूचना अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से एक निर्धारित प्रपत्र में नगर निगमों एवं नगरीय निकायों के द्वारा दिनांक 1–11–2000 से आवेदन दिनांक तक की अवधि में सड़क निर्माण के लिए डामर क्रय करने एवं उपयोग करने की जानकारी चाही थी। साथ ही डामर प्राप्त करने तथा उसका सत्यापन करने संबंधी जानकारी चाही थी। जानकारी न देने की शिकायत उसने आयोग के समक्ष की। आयोग ने निर्देश दिये कि वह नियमानुसार प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करे। अपीलार्थी ने दिनांक 06–05–2006 को आवेदन दिया कि उसने प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, जो कि अस्वीकार की गई। उसके द्वारा प्रथम अपील के आदेश की प्रति द्वितीय अपील आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। आयोग के द्वारा न्यायहित में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 30–11–2006 को दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा लिखित तर्कों पर भी विचार किया गया।

2/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के द्वारा लोक प्राधिकारी के नाते सभी नगरीय निकायों से जानकारी एकत्रित कर अपीलार्थी को प्रदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि नगरीय निकायों ने जन सूचना अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा सड़क निर्माण में उपयोग किये गये डामर की जानकारी चाही थी।

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न नगर निगम छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम–1956 के अंतर्गत गठित है तथा नगर पालिका तथा नगर पंचायतें छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम–1961 के अंतर्गत गठित हैं स्वतंत्र इकाई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत पृथक–पृथक लोक प्राधिकारी हैं तथा वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए अधिकृत हैं। उनके क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में किस ठेकेदार द्वारा कितना डामर उपयोग किया गया यह जानकारी संबंधित लोक प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के द्वारा ही दी जा सकती है। संचालनालय में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखी जाती है, अतः अपीलार्थी का आवेदन–पत्र अस्वीकार कर उन्हें सूचित किया गया कि वे संबंधित संस्थाओं से वांछित जानकारी प्राप्त करे।

3/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतें पृथक अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्थाएँ हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वे स्वयं में पृथक–पृथक लोक प्राधिकारी हैं। भारतीय संविधान अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य शासन एवं स्थानीय शासन (स्वबंस ठवकपमे़) की व्यवस्था की गई है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अधीन ये सभी संस्थाएँ हैं। संचालनालय के द्वारा केवल इन संस्थाओं के प्रशासन के समन्वय का राज्य शासन की सहायता के लिए कार्य किया जाता है। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा पारित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है। इन लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने अधीन पृथक–पृथक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की है। अपीलार्थी को यदि किसी नगर निगम या नगर पालिका अथवा नगर पंचायतों से संबंधित निर्माण कार्यों की जानकारी चाहिए तो उसे संबंधित लोक प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र देना चाहिए।

4/ प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचारोपरांत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त